रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266587
CG-DL-E-01102025-266587

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2025/आश्विन 9, 1947
No. 647] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2025/ASVINA 9, 1947

गृह मंत्रालय

(सीमा प्रबंधन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2025

सा.का.नि.731(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के उपनियम (2) में, "योजना और विकास के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव" शब्दों के स्थान पर, "परियोजना निर्माण, संविदा प्रबंध, सार्वजनिक उपापन के क्षेत्र में अनुभव" शब्द रखे जाएंगे;

3. उक्त नियमों के नियम 4 में,-

(क) उपनियम (2) में, खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:- "(iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी-नेशनल इंस्टीटयूशन फार ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग; और";

(ख) उपनियम (6) के, खंड (ii) में, उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री।"

[फा. सं. 2/10/2025-बीएम-II/आईसीपी]

पौसुमी बसु, संयुक्त सचिव

टिप्पण: भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण नियम, 2011, भारत के राजपत्र: असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 556(अ) तारीख 20 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Border Management)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

G.S.R. 731(E).—— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 34 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Land Ports Authority of India Rules, 2011 namely:--

1. (1) These rules may be called the Land Ports Authority of India (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Land Ports Authority of India Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (2), for the words "special knowledge and experience in the field of Planning and Development", the words "experience in the field of construction of project, contract management, public procurement" shall be substituted;

3. In the said rules, in rule 4,-

(a) in sub-rule (2), for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iii) Chief Executive Officer- National Institution for Transforming India Aayog; and";

(b) in sub-rule (6), in clause (ii), after sub-clause (B), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

(C) Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute.".

[F. No. 2/10/2025-BM-II/ICP]

PAUSUMI BASU, Jt. Secy.

Note: The Land Ports Authority of India Rules, 2011 were published in the Gazette of India: Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide notification number G.S.R. 556(E) dated the 20th July, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.10.01 21:38:31 +05'30'